

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 जनवरी 2013—माघ 1, शक 1934

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्र. एफ 22-41-2011-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में इस विभाग की पूर्व की अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित समस्त अधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर किये गये तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का, उसके (अनुसूची के) कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित की गई रकम के लिये प्रशमन करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अधिकारियों के पदनाम (1)	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा (2)	प्रशमन की रकम (रुपये में) (3)
परिवहन आयुक्त, अपर परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त, समस्त उप परिवहन आयुक्त, समस्त जिला मजिस्ट्रेट, समस्त अति. जिला मजिस्ट्रेट, समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, समस्त पुलिस अधीक्षक, समस्त अति. पुलिस अधीक्षक, समस्त उप पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, समस्त अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, समस्त जिला परिवहन अधिकारी,	177 178(1) 178(2) 178(3)(क) 178(3)(ख)	500 500 1000 500 500

(1)	(2)	(3)
समस्त सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, समस्त परिवहन निरीक्षक तथा परिवहन उप निरीक्षक, पुलिस विभाग की यातायात शाखा में पदस्थ समस्त निरीक्षक तथा उप निरीक्षक.	179	परिवहन यान-1000 गैर परिवहन यान-500
	180	परिवहन यान-3000 गैर परिवहन यान-1000
	181	परिवहन यान-3000 गैर परिवहन यान-1000
	182(1)	परिवहन यान-3000 गैर परिवहन यान-1000
	182(2)	मंजिली गाड़ी-1000
	183(1)	परिवहन यान-3000 गैर परिवहन यान-1000
	183(2)	परिवहन यान-3000 गैर परिवहन यान-1000
	184	परिवहन यान-3000 गैर परिवहन यान-1500
	186	परिवहन यान-3000 गैर परिवहन यान-1000
	189	परिवहन यान-3000 गैर परिवहन यान-1500
	190(2)	परिवहन यान-3000 गैर परिवहन यान-1000
	191	परिवहन यान-10000 गैर परिवहन यान-5000
192(1)(क) रजिस्ट्रीकरण के बिना		एक. परिवहन यान श्रेणी 1. भारी मोटरयान-7000 2. मध्यम मोटरयान-5000 3. हल्का मोटरयान-3000 दो. गैर परिवहन यान श्रेणी 1. हल्का मोटरयान-3000 2. मोटर साईकिल-2000 तीन. अन्य यान-5000

(1)	(2)	(3)
	192(1) (ख) उपयुक्ता के बिना मंजिली गाड़ी हेतु	उपयुक्ता के बिना (परिवहन यान) 1. भारी मोटरयान-5000 2. मध्यम मोटरयान-3000 3. हल्के मोटरयान-2000
	194(1)	रुपये 2000/- न्यूनतम तथा अतिरिक्त रुपये 1000/- प्रति टन या उसके भाग के लिये. आधिक्य भार को खाली करने हेतु प्रति टन या उसके भाग के लिये न्यूनतम रुपये 100/- या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
	194(2)	धारा 194(1) के उपबंधों के उद्ग्रहणीय प्रशमन फीस के भुगतान से इंकार करने पर रुपये 5000/-.
	196	1. मोपेड/मोटर साईकिल हेतु रु. 1000/- 2. हल्के मोटरयानों (मालयान/यात्री यान) हेतु रुपये 3000/- 3. मध्यम मोटरयान/भारी मोटरयान (मालयान/यात्रीयान) हेतु रुपये 5000/-
	198	रुपये 1000/-

F 22-41-11-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of this department's earlier Notifications in this regard, the State Government, hereby, specify all the officers mentioned in column (1) of the Schedule below to compound offences committed within their respective jurisdiction and punishable under the sections mentioned in column (2) of the said Schedule for the amount mentioned in the corresponding entries in column (3) thereof, namely:—

SCHEDULE

Designation of Officers (1)	Section of Motor Vehicles Act, 1988 (2)	Amount of Composition (in Rupees) (3)
Transport Commissioner, Additional Transport Commissioner, Joint Transport Commissioner, All Deputy Transport Commissioners, All District Magistrates, All Additional District Magistrates, All Sub-Divisional Magistrates, All Executive Magistrates, All Superintendents of Police, All Additional Superintendents of Police, All Deputy Superintendents of Police, All Regional Transport Officers,	177 178(1) 178(2) 178(3)(a) 178(3)(b)	500 500 1000 500 500

(1)	(2)	(3)
All Additional Regional Transport Officers, All District Transport Officers/ All Assistant Regional Transport Officers, All Transport Inspectors and Transport Sub-Inspectors, All Inspectors and Sub-Inspectors, posted in Traffic branch of Police Department.	179	Transport Vehicle-1000 Non-Transport Vehicle-500
	180	Transport Vehicle-3000 Non-Transport Vehicle-1000
	181	Transport Vehicle-3000 Non-Transport Vehicle-1000
	182(1)	Transport Vehicle-3000 Non-Transport Vehicle-1000
	182(2)	Stage Carriage-1000
	183(1)	Transport Vehicle-3000 Non-Transport Vehicle-1000
	183(2)	Transport Vehicle-3000 Non-Transport Vehicle-1000
	184	Transport Vehicle-3000 Non-Transport Vehicle-1500
	186	Transport Vehicle-3000 Non-Transport Vehicle-1000
	189	Transport Vehicle-3000 Non-Transport Vehicle-1500
	190(2)	Transport Vehicle-3000 Non-Transport Vehicle-1000
	191	Transport Vehicle-10000 Non-Transport Vehicle-5000
	192(I)(A) without registration	(i) Transport Vehicle Category— 1. Heavy Motor Vehicle-7000 2. Medium Vehicle-5000 3. Light Motor Vehicle-3000 (ii) Non-Transport Vehicle Category— 1. Light Motor Vehicle-3000 2. Motor Cycle-2000 (iii) Other Vehicle-5000
	192(I)(B) For Stage Carriage without Fitness	Without Fitness (Transport Vehicle)— 1. Heavy Motor Vehicle-5000 2. Medium Vehicle-3000 3. Light Motor Vehicle-2000

(1)	(2)	(3)
	194(1)	Rs. 2000/- minimum and extra Rs. 1000/- per tonne or part there of for excess load. For unloading excess load minimum Rs. 100/- tonne or part thereof or actual expenses whichever is higher.
	194(2)	Rs. 5000/- for refusal to pay the compounding fee leviable as per provisions of section 194(1).
	196	1. Rs. 1000/- for Moped/Motor Cycles 2. Rs. 3000/- for Light Motor for Light Motor vehicles(good Vehicles/passenger vehicles). 3. Rs.5000/- for Medium Motor Vehicles (good Vehicles/passenger vehicles).
	198	Rs. 1000/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, सचिव.